



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03042024-253526
CG-MH-E-03042024-253526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946

No. 224]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 2 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 238(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. प्रारंभिक गठन - ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा संबंधित श्रेणियों में की गई उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परीवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अवर श्रेणी लिपिक	76*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर -2 (19900-63200 रु.)।	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति:-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से इनका चयन किया जाएगा, जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है।</p> <p>वांछनीय: अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम तीस शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से चयन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित लिखित या वस्तुनिष्ठ परीक्षा सम्मिलित है।</p> <p>टिप्पण 3 - प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।</p> <p>टिप्पण 4 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. अन्य घटक इकाई से प्रशासनिक काडर में समूह 'क' अधिकारी- सदस्य। 	लागू नहीं होता।

<p>परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>		
--	--	--

[फा. सं. 19/2/2023-सीसीएस/4932]

ए. आर. सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd April, 2024

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Department of Atomic Energy, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial constitution. - The incumbents holding the posts of Lower Division Clerk immediately before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective grades shall be counted for the purposes of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lower Division Clerk.	76*(2024) *subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.


Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled in by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee (for considering promotion) exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion through Departmental Qualifying Examination:-</p> <p>Selection shall be made from amongst Group 'C' employees at Level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.</p> <p>Desirable: Minimum speed of thirty words per minute in English typewriting.</p> <p>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chief Administrative Officer of the concerned unit – Chairperson; Deputy Controller of Accounts of the concerned unit – Member; Group 'A' Officer in Administrative cadre from another 	Not applicable.

<p>Note 2.- Selection through departmental qualifying examination involves written or objective test conducted by the Department of Atomic Energy.</p> <p>Note 3.- Promotees shall undergo training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation.</p> <p>Note 4.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>constituent Member.</p>	<p>unit-</p>
---	--------------------------------	--------------

[F. No. 19/2/2023-CCS/4932]

A. R. SULE, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25112024-258901
CG-MH-E-25112024-258901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2024/अग्रहायण 4, 1946

No. 667]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2024/AGRHAAYAN 4, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

मुंबई, 21 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 726(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग (अवर श्रेणी लिपिक) के भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परमाणु ऊर्जा विभाग (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2024 में, अनुसूची में, स्तंभ (11) के अधीन, "वेतन मैट्रिक्स के" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "नियमित सेवा प्रदान की है।" शब्दों से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

निम्नलिखित "समूह 'ग' कर्मचारियों में से उनका चयन किया जाएगा, जिनके पास 12, वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता है,-

- (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (रु. 18000-56900) के कर्मचारीगण जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है, और;

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रु. 19900-63200) के कर्मचारीगण”

[फ़ा. सं. 19/2/2023-CCS/16533]

ए. आर. सुले, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 238(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

**Department of Atomic Energy
NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st November, 2024

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Atomic Energy (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2024, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Lower Division Clerk) Recruitment (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Atomic Energy (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2024, in the Schedule, under column (11), for the portion beginning with the words “Selection shall be made: and ending with the words “service in the grade.”, following shall be substituted, namely:-

“Selection shall be made from amongst the following Group ‘C’ employees who possess 12th class pass or equivalent qualification,-

- (i) employees at Level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix who have rendered three years regular service in the grade, and;
- (ii) employees at Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix.”

[F. No. 19/2/2023-CCS/16533]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.238(E), dated the 2nd April, 2024.